केन्द्रीय सूचना आयोग
बाबा गंगनाथ मार्ग, मुनिरका
नई दिल्ली 110067 -
******

C. I. C. / के० सू० आ०
RECEIVED
05 AUG 2024
D. No.......................
Initials.......

प्रथम अपील सं CICOM/A/P/24/00073
संदर्भ संचिका सं . CICOM/R/P/24/00262
अपीलकर्ता श्री अरुण कुमार
[redacted]

आर.टी.आई. आवेदन की तिथि	18.04.2024
संबंधित केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी को आवेदन प्राप्त होने की तिथि	19.06.2024
आर.टी.आई. के तहत सूचना प्रदान करने की तिथि	08.07.2024
प्रतिउत्तर देने वाले जन सूचना अधिकारी	कर्नल एस.एस.चिकारा (DR to IC AR)
प्रथम अपील दाखिल करने की तिथि	27.07.2024
प्रथम अपीलीय अधिकारी के कार्यालय में प्रथम अपील आवेदन प्राप्त होने की तिथि	30.07.2024
निर्णय की तारीख	02.08.2024

1. मांगी गई सूचना

अपीलकर्ता द्वारा दिनांक 18.04.2024 के आर.टी.आई आवेदन के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं मांगी गई थी : -

1.) "प्रार्थी के 14.03.2024 के पत्र पर केंद्रीय सूचना आयोग द्वारा 16.02.2024 CIC/DOFSR/A/2022/140295 को जो आर्डर किया गया था, उस आर्डर कि समयावधि के अंदर प्रार्थी को जनसूचना अधिकारी द्वारा एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अभी तक कोई सूचना प्रदान नहीं किया गया है, क्या प्रार्थी को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के किस नियम के द्वारा सूचना प्राप्ति का अधिकार ख़त्म हो गया है, इसकी लिखित जानकारी देने की कृपा करें।

2.) प्रार्थी के 14.03.2022 की आवेदन पर जनसूचना अधिकारी एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को समयावधि के अंदर सूचना नहीं प्रदान करने पर सुनवाई के दौरान जनसूचना एवं प्रथम अपीलीय अधिकारी को 15 दिन का और समयावधि किस नियम से उनको प्रदान किया गया है, इसकी लिखित जानकारी देने की कृपा करें। मांगी गई सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6 (3) के तहत समय देने की कृपा करें।"

2. प्रदान की गई सूचना

"कर्नल एस.एस.चिकारा, केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी पत्र दिनांकित 08.07.2024 के माध्यम से निम्नलिखित सूचनाएं प्रेषित की गई -:

"Point (i) – The available documents received from the CPIO's are attached herewith for your reference.

Point (ii) – The sought information is denied under section 2 (f) of the RTI Act, 2005."

3. प्रथम अपील का आधार

"मैंने आपके विभाग के जन सूचना अधिकारी के समक्ष सूचना प्राप्ति के लिए दिनांक 18.04.2024 को आवेदन किया था, जिस पर जन सूचना अधिकारी द्वारा समयावधि ख़त्म हो जाने के बाद जनसूचना अधिकारी द्वारा 08.07.2024 के पत्र में जो सूचना प्रदान किया गया है वह पूर्ण रूप से गलत है क्योंकि ये सभी पत्र जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रस्तुत क्या गया है और प्रार्थी को उस विभाग द्वारा अभी तक कोई पत्र नहीं प्राप्त कराया गया है।"

4. निर्णय

आर. टी. आई. आवेदन, प्रदान की गई सूचना एवं प्रथम अपील का अवलोकन करने पर पाया गया कि अपीलकर्ता के आर.टी.आई. आवेदन सं. CICOM/R/P/24/00262 के प्रतिउत्तर में केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रेषित की गई सूचना, सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों एवं मांगी गई सूचना के अनुसार ही अतः केंद्रीय जन सूचना अधिकारी द्वारा प्रदान की गई सूचना तथ्यात्मक है और इसमें प्रथम अपीलीय अधिकारी के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है।

5. तद्नुसार अपील निस्तारित की जाती है ।

6. प्रस्तुत संदर्भ में अपीलकर्ता यदि इस आदेश /निर्णय से संतुष्ट न हो तो अधिनियम की धारा 19 (3) के अंतर्गत द्वितीय अपील इस आदेश की प्राप्ति 90 दिनों के अंदर केंद्रीय सूचना आयोग, बाबा गंग नाथ मार्ग, मुनिरका, नई दिल्ली - 110067 में की जा सकती है।

निर्णय की दिनांक : 02.08.2024

(ब्रिगेडियर विपिन चक्रवर्ती)
रजिस्ट्रार & प्रथम अपीलीय अधिकारी
दूरभाष : 011-26105021

प्रतिलिपि :

1.) केन्द्रीय जन सूचना अधिकारी, आर.टी.आई. प्रकोष्ठ, केन्द्रीय सूचना आयोग, नई दिल्ली।

5/8/24